उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-23/2017/174/92-2-17-65जॉच/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 27 जनवरी,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ में महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में अपने अधीनस्थ कार्यो एवं कार्मिकों पर नियंत्रण न रखने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन न करने, उ0प्र0 शासन द्वारा परिचालित दिशा-निर्देशों, आदेशों व वित्तीय नियमों का अनुपालन न करने तथा अधिशासी अभियन्ता के रूप में सौपे गये दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 75/2016/1894/92-2-2016-65जॉच/2016 दिनांक 25.11.2016 द्वारा श्री पी0के0 त्रिवेदी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ (सम्प्रति निलम्बित) के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियन्ता (पू0क्षे0), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री पी0के0 त्रिवेदी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 30.11.2016 को सेवानिवृत्त हो गये है। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री पी0के0 त्रिवेदी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम'-7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

संख्या-23/2017/174(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री पी0के0 त्रिवेदी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ (सम्प्रति सेवानिवृत) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in